



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 346 राँची, शुक्रवार,

11 जुलाई, 2025 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

2 जुलाई, 2025

संचिका सं०-ख०नि०(निति)-01/2025-1604/एम०,--झारखण्ड गजट असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित गजट संख्या-135, राँची, गुरुवार 20 मार्च 2025 के अनुपालन में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य अंतर्गत अवस्थित विभिन्न कोलियरी के पक्ष में माह मई, 2025 में अनुमोदित कोयले के परमिट के आधार पर भारित औसत मूल्य माह जून, 2025 से अगले आदेश तक Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयले के लिए निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है:-

Grade Wise Weighted Average Price of Coal

Coal Grade	Avg Unit Price (in Rupees)
G3	4650.96
G4	4437.00
G5	4506.23
G7	3858.60
G8	2847.83
G9	2786.82
G10	2611.31
G11	1522.22
G12	1453.83
G14	1206.00
G17	2557.54
Washery-I	6018.63
Washery-II	4650.35
Washery-III	3713.11
Washery-IV	3022.48
Washery-V	2803.18
Washery-VI	3372.60
Steel Grade II	2557.54

- नोट:-**
- उपरोक्त वर्णित भारित औसत मूल्य स्वामिस्व एवं अन्य वैधानिक शुल्क को छोड़कर है।
 - G-6 एवं G-13 का दर (पत्रांक-940, दिनांक-05.04.2025 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में अंकित दर) को ही प्रभावी माना जाय।
 - सभी जिला खनन पदाधिकारी को निदेश है कि निर्धारित भारित औसत मूल्य के आधार पर Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयले पर नियमानुसार स्वामिस्व की गणना एवं वसूली करना सुनिश्चित करेंगे।
 - राजमहल क्षेत्र में संचालित कोयला खनन पट्टों के मामले में उपरोक्त दर में 700/-रु० जोड़कर स्वामिस्व की गणना की जाएगी। संबंधित जिला खनन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।
